न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 20/2022

उनवान

श्री मिश्रीलाल जैन पुत्र श्री सोहनलाल निवासी टाटॅगढ, जिला अजमेर (राज0)
................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर
............अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1.श्री जिनेश सिंह सोनी — अभिभाषक प्रार्थी
2.श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

आदेश

दिनांकः– 24.04.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अतिरिक्त खाघ आयुक्त खाघ एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 1/2020 उनवान मिश्रीलाल जैन पुत्र श्री सोहनलाल बनाम जिला कलक्टर, अजमेर व जिला रसद अधिकारी, अजमेर निर्णय दिनांक 23.03.2022 इस आश्य का प्राप्त हुआ कि पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.12.2019 एवं जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत पुनः प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

वकिल अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट पिछले 25 वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन ईमानदारी से करा रहा है। इस अवधि में अपीलान्ट के विरूद्व एक भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार के खाघ विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पीओएस मशीन में उपभोक्ताओ के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत भी कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यह निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

नहीं आनी चाहिए । इसी बात को मध्यनजर रखते हुए जारी कारण बताओ नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र के निलम्बन कार्यवाही के विरूद्व एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि 90 दिन पश्चात अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को दिनांक 21.8.2017 के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया गया। तत्पश्चात अप्रेल 2018 में रेस्पोडेन्ट का दिनांक 10.8.2017 का पत्र मिला जिसमें अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का उल्लेख था। प्रश्नगत उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओ को अपीलान्ट से कोई शिकायत नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा अपने दुकान के उपभोक्ताओ को समय पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। नियमानुसार पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात ही उपभोक्ता को गेहूँ का वितरण किया गया है। उपरोक्त सिस्टम नया होने तथा पोस मशीन एवं सीडिंग की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण एक आधार कार्ड से अनेक उपभोक्ताओं के गेहूँ निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबुझ कर इस तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन नहीं किया गया है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से अवैध शून्य एवं प्रभावित है। उक्त आदेश श्रीमान द्वारा दिनांक 04.12.2019 को अपील खारिज की जाने पर एक पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर से पुनरीक्षण याचिका संख्या 12/2020 बउनवान बालू सिहं उर्फ बाल सिहं बनाम जिला कलक्टर, अजमेर व जिला रसद अधिकारी, अजमेर निर्णय दिनांक 23.03.2022 इस आश्य का प्राप्त हुआ कि प्रकरण के विपरित प्राधिकार पत्र निरस्तिकरण का आदेश दिनांक 10.08.2017 को अर्थात उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 11.08.2017 से एक दिन पूर्व किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया विवादित आदेश जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा सद्भावनापूर्वक जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण को इन तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए पुनः गहराई से देखे जाने हेतु श्रीमान् को रिमाण्ड कर पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2019 एवं जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अतः अपील स्वीकार कर विवादग्रस्त निर्णय दिनांक 10.08.2017 जिला रसद अधिकारी अजमेर के प्रकरण संख्या 435/2016 में पारित किया गया है, को निरस्त करने के आदेश पारित किये जावे एवं निरस्त प्राधिकार पत्र को बहाल करें ।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रोन्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व विभागीय प्रकरण संख्या 435/16 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि पीओएस मशीन द्वारा वितरण जनवरी 2016 से प्रारम्भ

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

किया गया। सिस्टम में नये होने के कारण मशीनों एवं सीडिक के बारे में पूर्ण जानकारी नही थी, इसलिए एक ही आधार कार्ड से बार–बार गेहूँ निकालने की गलती अनजाने में हो गई। गलत नियत या जानबूझ कर इस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं किये गये। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। अपीलान्ट के इस जवाब पर क्षेत्रिय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार भी अपीलान्ट डीलर द्वारा एफपीएस कोड संख्या 15283 द्वारा आधार कार्ड नं0 915598811547 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभोक्ताओं के कुल 10 राशन कार्डों के साथ सीडिंग करके 250 किलोग्राम गेहूँ, 16 लीटर अनुदानित केरोसीन, आधार कार्ड संख्या 272244746680 का अलग–अलग उपभोक्ताओं के कुल 3 राशन कार्डों के साथ सीडिंग कर 60 किलोग्राम गेहूं एवं एफपीएस कोड नं0 2101 पॉस मशीन से एक ही आधार कार्ड संख्या 272244748680 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभोक्ताओं के कुल 19 राशन कार्डों के साथ सीडिंग कर 365 किलोग्राम गेहूँ, आधार कार्ड संख्या 915598811547 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभोक्ताओं के कुल 4 राशन कार्डों के साथ सीडिंग कर 150 किलोग्राम गेहूँ तथा 4 लीटर केरोसीन, इसी प्रकार आधार कार्ड संख्या 67495276073 का दरूपयोग कर अलग अलग उपभोक्ताओं के कुल 72 राशन कार्डों के साथ सीडिंग कर 540 किलोग्राम गेहूँ तथा 184 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा कुल 1320 किलोग्राम गेहूँ एवं 204 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक ट्रांजेक्शन किया जाना पाया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग दुसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों पर कर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्व है। लिहाजा विभागीय प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के द्वारा अपीलान्ट को जारी एफपीएस कोड नं0 2147 तहसील, टॉटगढ का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट का उक्त कृत्य विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। श्रीमान् के आदेश दिनांक 04.12.2019 को जारी किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अतः उक्त आदेश पूर्णतया न्यायसंगत विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमित्ताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर अपील तथ्यों के परिपेक्ष्य में मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 में स्पष्ट किया गया है कि यदि निलम्बन आदेश दिनांक से 90 दिन पूर्व पारित किया गया हो, तब आगे जारी नहीं रहेगा बल्कि उक्त से अलग रखा गया है। खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जांच प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्व गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा सबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण गहन जांच एवं अनुसंधान के पश्चात ही हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिस बाबत हाजा न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर उक्त प्रकरण बाबत पूर्व में दिनांक 04.12.2019 को निर्णय पारित किया गया जो कि विधि सम्मत प्रतीत होता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा आदेश दिनांक 04.12.2019 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर